EASE OF DOING BUSINESS in UTTAR PRADESH

तेजी से औद्योगिक स्वीकृतियाँ जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विभागीय आपत्तियों की समयावधि सीमित करने पर कर रही है विचार

- *विभागों द्वारा आवेदन में कमी या आपत्तियाँ उद्यमी को एक सप्ताह के भीतर सूचित करनी होंगी*
- *उद्योग स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त आवेदन–पत्र बनाया जा रहा है*
- *विद्युत संयोजन के लिए प्रदूषण अनापत्ति की आवश्यकता को खत्म किया जाएगा*
- *विभाग सुनिश्चित करेंगे कि सेवायें उ.प्र. जनहित गारण्टी एक्ट में सम्मिलित हो जाएं*
- *अंतिम स्वीकृति ऑनलाइन जारी करने के लिए 'डिजिटल सिग्नेचर' प्रणाली का विकास होगा*

लखनऊ, 06 मई 2015:

उत्तर प्रदेश में व्यापार एवं उद्योगों की प्रगति एवं निवेश आकर्षित करने के लिए और बेहतर माहौल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार औद्योगिक स्वीकृतियाँ जारी करने के लिए विभागीय आपत्तियों की समयावधि सीमित करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है। इस कदम से उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियों को समयबद्ध व त्वरित रूप से प्रदान किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा इस दिशा में अनेक नये कदम उठाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में विभागों के साथ लगातार बैठकें कर रहे **प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री महेश कुमार गुप्ता ने बताया** कि *ऐसा देखा गया है कि सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वीकृति हेतु उद्यमी आवेदकों से बार–बार आवेदन में कमियाँ अथवा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी अनापत्तियों व सहमतियों को जारी करने में विलम्ब होता है।* अतः राज्य सरकार ***विभागों द्वारा आवेदन में कमी या आपत्तियां उद्यमी आवेदक को एक सप्ताह के भीतर सूचित करने की अनिवार्यता* पर गम्भीरता से विचार कर रही है।** प्रमुख सचिव इस विषय पर प्रदूषण नियंत्रण, वन, फायर सेफ्टी, आबकारी, श्रम, आवास, वाणिज्य कर, राजस्व आदि विभागों के उच्चधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उद्योग स्थापना एवं विकास हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं में तेजी एवं पारदर्शिता पर बल देते हुए, **श्री महेश कुमार गुप्ता ने बताया** कि इसके लिए राज्य के ऑनलाइन सिंगल विण्डो सिस्टम, निवेश मित्र पर आवेदकों के लिए विभिन्न विभागों के अलग–अलग आवेदन–पत्रों के स्थान पर **एक संयुक्त फॉर्म** बनाया जा रहा है, जिससे आवेदकों को उद्यम स्थापित या संचालित करने हेतु अनेक फॉर्मों को भरने से राहत मिलेगी।

राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया से मानव हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों को आवेदन मैन्युली स्वीकार न करने के लिए पूर्व में ही निर्देशित कर दिया है। **प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग ने विभिन्न सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया है कि वे आवेदकों को अंतिम स्वीकृति ऑनलाइन ही प्रदान करने के लिए 'डिजिटल सिग्नेचर' प्रणाली का विकास करें। उन्होंने कहा कि उ.प्र. जनहित गारण्टी एक्ट 2011 में उद्योगों से सम्बन्धित और सेवाओं को समयावधि सहित सम्मिलित कराया जाए। अनेक औद्योगिक सेवायें पहले ही इस एक्ट में शामिल कर दी गई हैं, जिसके तहत दोषी पाये जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा अपील करने के प्राविधान उपलब्ध हैं।**

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अन्तर्गत **उ.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा सहमति देने के लिए जरूरी सभी आवेदन अब निवेश मित्र के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जा रहे हैं तथा सहमति–पत्र की स्कैण्ड कॉपी ईमेल से उद्यमी को भेजो जा रहो है।** नये आदेश के अनुसार **प्रदूषण सहमति देने के लिए उद्योग के स्थल का निरीक्षण करने के बाद 48 घण्टे के भीतर निरीक्षण–रिपोर्ट निवेश मित्र व्यवस्था के तहत उद्योग बन्धु की वबसाइट (www.udyogbandhu.com) पर प्रदर्शित करना होगा।**

सूचित किया गया कि उद्यागों द्वारा विद्युत संयोजन के लिए प्रदूषण अनापत्ति की आवश्यकता को खत्म करने हेतु कार्यवाही चल रही है, जिससे उद्यागों को बिजली का कनेक्शन तुरन्त मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि **प्रदेश में 220 प्रकार की प्रदूषण–रहित औद्योगिक इकाइयों को** यूपीपीसीबी से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

राज्य सरकार ने उद्योगों के सुचारू संचालन व सुविधा के लिए उ.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु सहमति प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए लाल श्रेणी के उद्योगों की सहमति अवधि 2 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष कर दिया है, जबकि नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को सहमति 3 व 5 वर्ष से बढ़ाकर क्रमशः 10 एवं 15 वर्ष कर दिया है।